न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2023	2023/290	22.03.2023	05.08.2024

1.सावत्री पुत्री स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल ग्राम व पोस्ट बुर्जा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

---अपीलान्ट

बनाम

1.दयानन्द पुत्र स्व. श्री गिर्राज प्रसाद पंचोली पोत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर।

2.सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री गिर्राज प्रसाद पंचोली पोत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर।

3.सुनीता पुत्री स्व. श्री गिर्राज प्रसाद पंचोली पोत्री स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी ग्राम परबेणी पोस्ट रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

4.माया पुत्री स्व. श्री गिर्राज प्रसाद पंचोली पोत्री स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी पंचायत समिति क्वार्टस, बस स्टेण्ड के पास, लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

5.रतनलाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी गोपाल बगीची के पास, वशिष्ठ कॉलोनी, बसवा रोड, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

6.बिदाम बेवा स्व. श्री सेदूराम पुत्र वधू स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी गोपाल बगीची के पास, वशिष्ठ कॉलोनी, बसवा रॉड, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

7.दिनेश चन्द पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी गोपाल बगीची के पास, वशिष्ठ कॉलोनी, बसवा रोंड, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

8.रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

9.बीनादेवी पत्नी स्व. श्री होतीलाल पुत्र वधू स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

10.कमल कुमार पुत्र स्व. श्री होतीलाल पोत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

11.नवीन कुमार पुत्र स्व. श्री होतीलाल पोत्र स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ़ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

12.आरती पुत्री स्व. श्री होतीलाल पोत्री स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

13.पूजा पुत्री स्व. श्री होतीलाल पोत्री स्व. श्री जगन्नाथ पंचोली पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर हाल निवासी गोपाल बगीची के पास, वशिष्ठ कॉलोनी, बसवा रॉड, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

14.तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान

––रेस्पोडेन्ट्स

भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17–12–2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला।

उपस्थितः–

01.श्री ब्रह्मप्रकाश यादव –वकील अपीलाण्ट

02.श्री रवि गुप्ता –वकील रेस्पोडेंट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17–12–2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपील विरूद्ध आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17–12–2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान के हैं, जो न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। बिना सुनवाई का अवसर दियें, पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य आज्ञा की किसी तरह की नही थी। इसलिये समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी, इसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ति नहीं हैं। मिन अपीलान्ट को उक्त आलोंच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31–10–2022 को पटवारी हल्का से मिन अपीलान्ट के पिता की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से हुयी। जिस पर दिनांक 31–10–2022 को नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 31–10–2022 को तैयार होकर दिनांक 09–11–2022 को सायंकाल प्राप्त हुई। दिनांक 10–11–2022 को नकल वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दिनांक 11—11—2022 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 31—10—2022 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 दिनांक 17—12—2004 से सर्वप्रथम जानकारी की दिंनाक 31—10—2022 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जानें योग्य हैं। जहां आलोच्य आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसी आलोच्य आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित मे सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 31—10—2022 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17—12—2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ़ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान की प्रमाणित प्रतिलिपी अपील के साथ पेश की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17—12—2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान बेजा व न्यायिक विधि एवं प्रक्रिया विरुद्ध एवं मौके व कब्जें तथा राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17—12—2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी हाल खसरा नंबर 869 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, 872 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, 890 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, 901 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 902 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, 903 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.9200 हैक्टेयर, एवं आराजी हाल खसरा नंबर 979 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, 981 रकबा 0. 0900 हैक्टेयर कुल किता 2 कल रकबा 0.5300 हैक्टेयर, एवं आराजी हाल खसरा नंबर 703 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 735 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 886 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, 988 रकबा 0. 0700 हैक्टेयर, 992 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, 997 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1018 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 1030 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.0000 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल टहलां जिला अलवर राजस्थान में स्थित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हैं। उक्त आराजी में अपीलान्ट एंव रैस्पाडैन्ट संख्या 01 लगायत 13 के पूर्वज जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान अपने हिस्से के अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार थे, जो आराजी श्री जगन्नाथ पंचोली के हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं। श्री जगन्नाथ पंचोली का स्वर्गवास सन 1998–99 में हो चुका हैं। मिन अपीलान्ट मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की जायन्दा जीवित पुत्री हैं, इसलिए मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के हिस्से कब्जे की उक्त आराजी में मिन अपीलान्ट का हक व हिस्सा हैं। मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के मरने के बाद उनकी विरासत के अपीलाधीन आलोच्य इंतकाल संख्या 435 दिनांक 17–12–2004 में मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज नही हुआ। जबकि मिन अपीलान्ट मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के हिस्से की आराजी में वर्तमान में अपने 1/7 हिस्से पर श्री जगन्नाथ पंचोली के स्वर्गवास उपरान्त काबिज रहकर उपयोग उपभोग कर रही हैं, व कानूनन मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के अपीलाधीन आलोच्य विरासत इंतकाल में मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिए था। लेकिन अपीलाधीन आलोच्य इंतकाल संख्या 435 दिनांक 17–12–2004 को तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया है, उसमें मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया, जो कि भारी कानूनी त्रुटि हैं। मिन अपीलान्ट मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की विधिक वारिस पुत्री हैं, व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की सदस्य है, तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक किसी भी हिन्दू पुरुष की मृत्यु पर उसकी पत्नी व संतान को बराबर का अधिकार होता हैं। इसलिए मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण उनके समस्त वारिसान अपीलान्ट एंव रैस्पाडैन्टस संख्या 01 लगायत 13 दर्ज करवाने के अधिकारी थे। इसलिए मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की विरासत का इंतकाल मिन अपीलान्ट व रैस्पाडैन्टस संख्या 01 लगायत 13 के हक में उनके हिस्सेनुसार दर्ज व तस्दीक कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। परन्तु रैस्पाडैन्टस संख्या 01 लगायत 13 के पूर्वजो ने मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के स्वर्गवास उपरांत पटवारी हल्का आदि से साजबाज होकर मिन अपीलान्ट का नाम दर्ज नही कराकर इंतकाल विरासत मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली रैस्पाडैन्ट संख्या 14 से मात्र अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराया हैं। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

यह कि तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 द्वारा बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, आलोच्य आज्ञा पारित की हैं। तथा वारिसान की सही प्रकार जांच नहीं की गई। जो आज्ञा तहत अदालत रैस्पार्डेन्ट संख्या 14 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण काबिल निरस्त हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। रैस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 13 के पूर्वजो को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी, कि मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की मिन अपीलान्ट भी जायज वारिस काबिज जायदाद हैं, इसलिये तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 को सभी वारिसान के नाम व्यक्तिगत सूचना जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। किन्तु तहत अदालत रैस्पार्डेन्ट संख्या 14 द्वारा केवल रैस्पाडैन्टस संख्या 01

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

लगायत 13 के पूर्वजो को सुनकर ही आज्ञा जेर बहस अपील पारित की गई है। जो आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त हैं। जॉ काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलान्ट मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली की जायज वारिस काबिज जायदाद है, तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची की सदस्य हैं। तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालतें हुए, आज्ञा जेर बहस अपील पारित की है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की विरासत व आराजी उसके समस्त वारिसान कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए भी तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 की आज्ञा जेर बहस अपील काबिल निरस्त हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

यह कि तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 14 ने अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा खिलाफ तथ्य, कानून, मौका प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पारित की गई हैं। जिससे निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मृतक श्री जगन्नाथ पंचोली के पुत्र गिर्राज प्रसाद व होतीलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके जायज वारिसान को रैस्पाडैन्टस पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुयें, आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू० अ०) राजगढ हाल टहला जिला अलवर राजस्थान दिनांक 17–12–2004 नामान्तकरण विरासत संख्या 435 ग्राम तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक जगन्नाथ पंचोली पुत्र श्री धन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट तालाब तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावें, एंव मृतक जगन्नाथ पंचोली के समस्त वारिसान अपीलान्ट एवं रैस्पाडैन्ट संख्या 01 लगायत 13 के नाम नामान्तकरण उनके हिस्सेअनुसार दर्ज करने के आदेश प्रदान कियें जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को रैस्पाडैन्टस से दिलाया जावें। व जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हो, बहक अपीलान्ट विरूद्ध रैस्पाडैन्टस सादिर फरमाई जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलव किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलव किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वक्त बहस अपीलांट वकील द्वारा ये अंकन कराया गया कि मैं मृतक की जाइन्दा पुत्री हूं। राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी आते ही मैने अपील प्रस्तुत कर दी थी। इसलिए देरी के बिन्दु पर मुझे सदभावना से विचार कर छूट दी जाये। बहस पूर्ण। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत साइटेशन को रिकॉर्ड पत्रावली किया गया। बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। विरासत में अपीलांट का विधिक वारिस के रूप में पत्रावली पर स्वीकार है। अपीलांटा मृतक की जाइन्दा पुत्री है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टहला द्वारा स्वीकृत/पारित इंतकाल संख्या 435 निर्णय दिनांक 17.12.2004 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार टहला को पत्रावली इस आशय के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि कार्यालय में प्रकरण दर्ज करें एवं विधिक वारिसों की सम्पूर्ण जांच कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 45 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
(द्वितीय) अलवर (राज)